

न्यायालय: श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला-बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 387 / 2013
संस्थान दिनांक 04.07.2013

कैलाश पिता दशरथ करोदिया, आयु 45 वर्ष
निवासी- ग्राम छोटा बड़दा, तहसील अंजड़,
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियोगी

विरुद्ध

सुनिल पिता भगवान जी पाटीदार
निवासी-ग्राम छोटा बड़दा, हाल मुकाम
मुकाती कॉलोनी, गोलाटी रोड़, अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

/// निर्णय ///

(आज दिनांक 30.04.2015 को घोषित)

1. परिवादी द्वारा पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दिनांक 18.07.2013 को प्रस्तुत परिवाद पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 30.11.2011 को परिवादी को अभियुक्त द्वारा 17,000/- रुपये (अक्षी सत्रह हजार रुपये मात्र) का स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा अंजड़ स्थित अभियुक्त के बैंक खाता क्रमांक 63008404633 का एक चेक 456445 विधिक दायित्व के उन्मोचन के लिए अभियुक्त द्वारा स्वयं के हस्ताक्षरित, हस्तलिपि एवं दिनांकित में जारी किये जाने पर भुगतान हेतु उक्त चेक संग्रह के लिए बैंक में जमा किया गया होकर उक्त चेक अपर्याप्त निधि होने से भुगतान नहीं हो सका। उक्त धनराशि की मांग का सूचना पत्र परिवादी द्वारा अभियुक्त को दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त द्वारा उक्त राशि भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण चलने के दौरान अभियुक्त एवं फरियादी के मध्य राजीनामे की बातचीत हुई थी तथा अभियुक्त ने परिवादी को दिनांक 20.02.2015 को न्यायालय में रुपये 10,000/- प्रदान किये थे, उसके पश्चात् शेष धनराशि अदा नहीं करने पर परिवादी ने राजीनामा करने से इंकार कर दिया था तथा दिनांक 25.04.2015 को अभियुक्त ने न्यायालय में आवेदन पेश कर चेक की शेष धनराशि रुपये 7000/- जमा करवा दी।

3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि परिवादी और अभियुक्त के आपस में मित्रवत संबंध होने से तथा अभियुक्त को रुपयों की पारिवारिक कार्य से आवश्यकता होने से अभियुक्त ने रुपये परिवादी को 17 हजार नगद उधार स्वरूप ग्राम छोटा बड़दा में प्राप्त किये थे तथा उसकी अदायगी के लिए अभियुक्त ने स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा अंजड़ में अपने खाता क्रमांक 63008404633 का चेक क्रमांक 456445 रुपये 17 हजार का दिनांक 30.11.2012 का अपने हस्ताक्षर से परिवादी के पक्ष में जारी किया था जो चेक परिवादी ने बैंक ऑफ इंडिया शाखा अंजड़ में भुगतान प्राप्ति के लिए दिया था तथा उक्त चेक दिनांक 04.01.2013 को अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित हो गया जिसका सूचना पत्र अधिवक्ता के माध्यम से दिये जाने के उपरांत अभियुक्त ने चेक की राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया। इसलिए परिवादी ने यह परिवाद पेश किया है।

4. अभियोगपत्र/परिवाद पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध पराक्रम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपना अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 द.प्र.स. के परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

क्या अभियुक्त द्वारा दायित्व के अधीन दिनांक 31.11.2011 को स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा अंजड़ में परिवादी को अपने खाता क्रमांक 63008404633 का चेक क्रमांक 456445 रुपये 17,000/- (अक्षरी सत्रह हजार रुपये मात्र) का अभियुक्त के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से अनादरित हो गया जिसकी मांग का सूचना पत्र दिये जाने के उपरांत भी अभियुक्त ने उक्त धनराशि का भुगतान विहित समयावधि में नहीं किया ?

यदि हाँ तो उचित दण्डाज्ञा ?

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

6. कैलाश (परि.सा.1) ने अपने कथन में परिवाद के तथ्यों का समर्थन करते हुए अभियुक्त द्वारा उससे 17 हजार रुपये ग्राम बड़दा में उधार स्वरूप प्राप्त करने तथा अभियुक्त द्वारा उक्त धनराशि की अदायगी के लिए उसे दिये गये चेक को अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित होने के संबंध में कथन किये हैं। परिवादी का यह भी कथन है कि अपने अधिवक्ता के माध्यम से अभियुक्त को दिनांक 15.01.2013 को मांग का सूचना पत्र प्रेषित किया था, जिसकी प्राप्ति अभिस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी तो परिवादी ने इसकी शिकायत मुख्य डाक अधिकारी डाक घर बड़वानी को दी। परिवादी ने अपने समर्थन में अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रदर्शपी 1 का चेक, बैंक का वापसी मेमो प्रदर्शपी 2 एवं 3, अभियुक्त को दिया गया सूचना पत्र प्रदर्शपी 4, उसकी रसीद प्रदर्शपी 5, तथा पोस्ट ऑफिस को की गई शिकायत प्रदर्शपी 6 प्रदर्शित कराई है।

7. अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में परिवादी की उक्त साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है तथा परिवादी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने उसके पक्ष में प्रदर्शपी 1 का चेक जारी नहीं किया था अथवा अभियुक्त ने कोई रुपये उधार नहीं लिये थे। इसी के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को बचाव साक्ष्य की स्थिति में स्वीकार किया तथा दिनांक 20.02.2015 को उक्त चेक के भुगतान हेतु परिवादी को रुपये 10 हजार न्यायालय में अदा किये तथा शेष धनराशि दिनांक 25.04.2015 को न्यायालय में जमा कराई गई।

8. इस प्रकार परिवादी की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त द्वारा दायित्व के अधीन परिवादी को रुपये 17 हजार का चेक क्रमांक 456445 प्रदर्शपी 1 का अपने हस्ताक्षर से प्रदान किया गया था जो अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त धनराशि होने से अनादरित हुआ, जिसके संबंध में अभियुक्त ने भी स्वीकारोक्ति की है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 का अपराध प्रमाणित होता है।

9. अतः यह न्यायालय अभियुक्त सुनिल पिता भगवान पाटीदार, निवासी ग्राम छोटा बड़दा को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 में दोषसिद्ध घोषित करता है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए और समाज में बढ़ रहे इस तरह के अपराध को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को परीवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. सजा के प्रश्न पर अभियुक्त और उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त चेक की राशि परिवादी को अदा कर चुका है और उभयपक्षों के मध्य राजीनामा न्यायालय के बाहर हो चुका था लेकिन अभियुक्त अपने पुत्र की बीमारी में अत्यधिक रुपये खर्च हो जाने के कारण परिवादी को शेष बकाया राशि समय पर अदा नहीं कर सका। इस कारण परिवादी ने राजीनामा करने से इंकार कर दिया, इस कारण उसने बकाया रुपये 7000/- न्यायालय में जमा करा दिये। जो कि अभियुक्त की सद्भावना है, इसलिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। इसके विपरीत परिवादी के अधिवक्ता ने अभियुक्त को अधिकतम कारावास से दण्डित करने का निवेदन किया।

11. यह सही है कि अभियुक्त एवं परिवादी के मध्य राजीनामे के संबंध में बातचीत हुई और इसी अनुसार अभियुक्त ने चेक की राशि में से रुपये 10 हजार न्यायालय में अदा किये तथा बकाया 7 हजार रुपये न्यायालय में जमा कराये हैं। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। **न्यायदृष्टांत रजनीश अग्रवाल विरुद्ध अमित जे. भल्ला 2002 ए.एन. जे. एस.सी. 238** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त द्वारा चेक की राशि विचारण के दौरान जमा करने से उसका आपराधिक दायित्व समाप्त नहीं होता है लेकिन यह तथ्य दण्ड देने समय ध्यान में रखा जा सकता है।

12. ऐसी स्थिति में अभियुक्त सुनिल पाटीदार को परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास से दण्डित किया जाता है तथा द.प्र.सं. की धारा 357 (3) के प्रावधान अनुसार यह भी आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त प्रतिकर के रूप में परिवादी को 16,000/- अपील अवधि पश्चात् अदा करेगा। चूंकि अभियुक्त ने न्यायालय में निर्णय के पूर्व 7 हजार रुपये जमा कराये हैं, उक्त राशि प्रतिकर की राशि में से समायोजित की जायेगी। इस प्रकार अभियुक्त प्रतिकर की राशि में अतिरिक्त 9000/- रुपये परिवादी को अपील अवधि पश्चात् अदा करेगा। अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि अदा न करने पर अभियुक्त 2 माह का साधारण कारावास भुगतेंगा। अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

